

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 846/2026

In
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 944/2026
URN: CRLAS / 1765U / 2026

Lal Khan S/o Gafur Khan, R/o Village Chawandi Kala, Police
Station Tijara, District Khairthal-Tijara (Rajasthan) (At Present
Appellant Confined In Central Jail, Jaipur)

-----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

-----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Sahaj Veer Baweja
For Respondent(s)	:	Mr. Gaurav Gupta, P.P. with Mr. Navdeep Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

16/07/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **लाल खां** की ओर से विचारण न्यायालय—अपर
जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम-1, कोटपूतली, जिला कोटपूतली—बहरोड़
(राजस्थान) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—24/2013, सरकार बनाम लाल खां में
पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **13.04.2026** के विरुद्ध यह सजा स्थगन
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों
में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के कठोर
कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी—अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान
विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को इस प्रकरण में अधिकतम 07 वर्ष के कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है, उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी—अभियुक्त दौराने विचारण दिनांक 23.10.2009 से 04.11.2009 तक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह वर्तमान में निर्णय की दिनांक 13.04.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं तथा अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी—अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रुपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **17.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **लाल खां पुत्र श्री गफूर खां** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI/24